

परिवादी द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
आरोपी अनुपस्थित।

आरोपी को जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामील प्राप्त।  
तामीलकर्ता प्रहलाद राना प्र.आर. न्यायालय के

निर्देशानुसार फरारी साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित।  
प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण वर्ष 2013 से न्यायालय में लंबित है। आरोपी को  
मेजे गए वारंट की तामीली सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इस

संबंध में तामीलकर्ता फरारी साक्ष्य हेतु उपस्थित है। उसके  
फरारी साक्ष्य कथन लेखबद्ध किए गए उसके द्वारा बताया गया

कि आरोपी अपने पते पर नहीं मिला और कहीं चला गया है  
जिसका कि अब कहीं पता नहीं चल रहा है और भविष्य में

उसके मिलने की संभावना नहीं है। इस संबंध में पंचनामा भी  
संलग्न किया गया है।

तामीलकर्ता अधिकारी की साक्ष्य प्रकरण के तथ्यों  
परिस्थितियों में आरोपी के मिलने की कोई संभावना नहीं है और

यह दर्शित होता है कि वह या तो कहीं फरार हो गया है या  
प्रकरण में उपस्थित होने से बच रहा है। ऐसी दशा में आरोपी

के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने का आदेश  
दिया जाता है।

प्रकरण को सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ प्रकरण  
दाखिल रिकार्ड किया जाये।

विशेष न्यायाधीश विद्युत मोहद